

13.9.21 - अधिवक्ता पार्थी के प्राप्पत्र पर  
पत्रावली क्रम वैशी पर ली गई। पार्थी  
स्वयं उपर/पार्थी ने प्राप्पत्र प्रस्तुत कर  
निवेदन किया है कि पत्रकारान ने बीच  
राजीनामा ही चुका है तथा प्राप्पत्र में  
कांगे वाफवाही नहीं चाहता है। वह पार्थी  
स्वीकार की जाकर पार्थी का प्राप्पत्र 0/5  
212 RTA Act के अन्तर्गत विद्रोह शर्तों  
किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार  
होकर डाकिल उपर हो। निर्णय सुनाया  
जाया।

अधिवक्ता कलकत्ता  
एवं पत्रकारों के अधिकारी  
उपस्थित (कलकत्ता)